

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन भोपाल.

क. / बोर्ड / यो. / गै.त. / ह.तु. / 13 / 15-16 / 4088 भोपाल, दिनांक 27 / 7 / 2016
प्रति,


अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उपसंचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय - भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सागर,
रीवा. (म.प्र.)

विषय:- मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना (संशोधित वर्ष
2014) अंतर्गत विवाह सहायता के संबंध में।
संदर्भ:- उपसंचालक, मण्डी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय इन्दौर का पत्र क्रमांक /
बोर्ड / लेखा / 2016-17 / 111 दि. 06.05.2016 एवं 256 दि. 30.06.2016
00000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री मण्डी हम्माल
एवं तुलावटी सहायता योजना अंतर्गत हम्माल एवं तुलावटियों की पुत्रियों के एकल
विवाह एवं सामूहिक विवाह हेतु विवाह सहायता की राशि कितनी-कितनी दिये जाने
के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था।

अतः कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3670 दिनांक 08.09.2015 द्वारा मुख्यमंत्री
मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना (संशोधित वर्ष 2014) जारी की गई है,
जिसमें हम्माल एवं तुलावटियों की पुत्रियों के एकल विवाह हेतु सहायता राशि दिये
जाने का प्रावधान नहीं है एवं सामूहिक विवाह का प्रावधान है जिसमें मुख्यमंत्री
क्रियादान योजना अनुसार राशि प्रदान की जाना सुनिश्चित करें। संशोधित योजना की
प्रति आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

अपर संचालक द्वारा अनुमोदित।


संयुक्त संचालक (योजना)
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल